कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट – इलाहाबाद।
(मनोरंजन कर अनुभाग)

संख्या– 95 / म0क0 / 2017–18 दिनॉक 02 अप्रैल, 2017

सर्वश्री शशिकान्त दुग्गल, बृजेश दुग्गल, सुनील दुग्गल व पुनीत दुग्गल,
स्वामी / पार्टनर–श्री विश्वामित्र पैलेस,
स्थान–119, बाई का बाग, त्रिवेणी रोड़, कीड़गंज,
इलाहाबाद।

आपके प्रार्थना–पत्र दिनॉक 20.11.2014 के सन्दर्भ में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत मानचित्र के साथ ही जारी अनुमति पत्र संख्या, 77 / प्र0अ0(भवन) / जोन–2 / 2013–14 दिनॉक 16.01.2017 तथा पत्र दिनॉक 21.04.2017 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यवसायिक काम्प्लेक्स सहित चतुर्थ व पंचम तल पर दो स्क्रीन युक्त क्रमशः 234 व 225 आसन क्षमता के छविगृह के निमार्ण कार्य कराए जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1– आप द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली–1951 के विहित प्राविद्यानों / नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

2– आप द्वारा अपने प्रस्तावित दो स्क्रीनयुक्त छविगृह के निर्माण को शासनादेश दिनॉक 03 सितम्बर, 2004 व 27 सितम्बर, 2005 में निहित शर्तो का पूर्णतया पालन किया जाएगा, तथा किसी भी प्रकार का अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

3– आप द्वारा अपने छविगृह में निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप ही किया जाएगा।

4– आप द्वारा द्वारा अपने प्रस्तावित निर्माण का स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का प्रमाण–पत्र अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, इलाहाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

5– आप द्वारा अपने प्रस्तावित निर्माण कार्य को पूर्ण करते हुए पूर्णतः प्रमाण–पत्र तथा विधुत सुरक्षा व अग्नि शमन विभाग तथा यातायात सुरक्षा मानकों के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाएगा।

6– आप द्वारा अपने निर्माण कार्य को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण किया जाए तथा निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की समाप्ति के 03 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा।

7– आप द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु जारी आदेश / निर्देशों के अतिक्रमण की दशा में जारी अनुमति को निरस्त किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जाएगी।

संलग्नकः–स्वीकृत मानचित्र एक प्रति।

(संजय कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट
इलाहाबाद।

प्रतिलिपिः–विशेष कार्याधिकारी, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
इलाहाबाद।